सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 40/2019 दायर दिनाँक 24.01.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. श्यामा उर्फ श्यामलाल पुत्र रूपा, उम्र—75साल, जाति—नायक, निवासी—आड़काबास, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राजस्थान—सरकार जरिये तहसीलदार—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

उपस्थितः—

1. श्री कमल मोट, वकील, वादी।

दिनाँक 15.02.2019

—:: निर्णय ::—

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी आड़काबास डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान का स्थाई निवासी है एवं खेतीहर मजदूर है।

सरहद शेखाबासनी में वर्तमान खसरा नम्बर 173 रकबा 16.13 बीघा भूमि है जिसके साविक खसरा नम्बर 112 रकबा 21.05 बीघा थे। प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा मिलान क्षेत्रफल दावा के साथ प्रस्तुत है।

वादग्रस्त भूमि में से हिस्सा 1/2 भाग में से रकबा 08.10 बीघा को वादी अपने पैतृक समय से लगातार अबतक काश्तकरता आ रहा है। वर्तमान खसरा की भूमि रकबा 08.10 बीघा में वादी की काश्त की हुई है। मौजूदा में वादी का कब्जाकाश्त है। इस खसरा की भूमि में वादी समय—समय पर लगान भी जमा करवाया है। गिरदावरी की फॉटों कॉपी वादी के साथ प्रस्तुत है व नक्शा ट्रेश में लाल स्याही से अंकित है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 40/2019
दायर दिनाँक 24.01.2019, निर्णय दिनाँक 15.02.2019
श्यामा उर्फ श्यामलाल बनाम् राजस्थान–सरकार।

वक्त सैटलमेन्ट के समय इस खसरा नम्बर की भूमि को राजस्व अधिकारियों ने भूल से कस्टोडियन दर्ज कर ली और वादी का नाम दर्ज करने में भूल कर, भारी गलती है। राजस्व मण्डल अजमेर से ऐसे निर्णय आ चुके हैं कि जिसका लगान व गिरदावरी में नाम अंकन था उसे अपने–आप से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चके, माने जावे।

वादी अपने उपर्युक्त खसरा की भूमि अर्जी दावे में वर्णित खसरा की भूमि पर अपने पैतृक कब्जाकाश्त की भूमि पर वक्त सैटलमेन्ट से लगातार अब तक कब्जाकाश्त करता आ रहा है जिसे उक्त रकबा 06.10 बीघा भूमि अपने अपने नाम से घोषित करवाने का मुश्तक है। इस खेत की खातेदारी पूर्व में महकमा कस्टोडियन एवं वर्तमान में राज्य–सरकार क नाम से रहने से वादी के जायज हक व हकुक व अधिकारों पर संकट के बादल छा गये हैं। अतः दावा बाबत् घोषणा का पेश है।

वादी अपने उपर्युक्त खसरा की भूमि अर्जी दावे में वर्णित खसरा की भूमि पर अपने पैतृक कब्जाकाश्त की भूमि पर वक्त सैटलमेन्ट से लगातार अब तक कब्जाकाश्त करता आ रहा है मौजूदा सम्वत् में वादी उक्त अपनी भूमि रकबा 06.10 बीघा पर फसल बोई एवं अंवेरी मगर हल्का पटवारी द्वारा बार–बार बेदखल करने की धमकी दी जा रही है जिससे वादी को अजहद नुकशान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से नहीं हो सकेगी। वादी एवं उसके परिवार का गुजर–बशर काश्त पर ही निर्भर है जिससे वादी को वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी आया है।

राज्य–सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने से पूर्व दो माह की अवधि का कानूनी नोटिस हस्ब धारा 80 सी.पी.सी. के तहत् प्रेषित किया जाना आवश्यक है मगर पटवारी की बेदखल की धमकी के कारण यह दावा अतिशीघ्र प्रस्तुत करना लाजमी होने से बिना नोटिस किये ही प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके लिए अलग से आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है और नोटिस राज्य–सरकार को प्रेषित किया जा रहा है।

बिनाय दावा सैटलमेन्ट के अधिकारी की भूमि की जानकारी हल्का पटवारी के द्वारा बेदखली की धमकी देने व नकुलात आदि प्राप्त करने से सम्वत् 2074 में अन्दर मयाद प्रस्तुत है। अदालत वाला को यह दावा सुनने का अधिकार है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 40/2019
दायर दिनाँक 24.01.2019, निर्णय दिनाँक 15.02.2019
श्यामा उर्फ श्यामलाल बनाम् राजस्थान–सरकार।

प्रार्थना वादी है कि,

वाद वर्णित भूमि सरहद शेखाबासनी तहसील डीडवाना के खसरा नम्बर 16.13 बीघा भूमि में से रकबा 06.10 बीघा भूमि वादी का पैतृक कब्जाकाश्त व खातेदारी की घोषित की जाकर रिकॉर्ड में वादी की खातेदारी में अमलदरामद किया जावे। वादी के हक में व प्रतिवादी के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा जवाब दावा पेश हुआ। तहसीलदार डीडवाना ने अपने जवाब दावा में निवेदन किया है कि,

1. ग्राम शेखाबासनी के खसरा नम्बर 173 रकबा 16.13 बीघा भूमि वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक दर्ज है।
2. उक्त भूमि ग्राम शेखाबासनी के खसरा नम्बर 173 रकबा 16.13 बीघा किस्त बा.प्रथम पूर्व में महकमा कस्टोडियन विभाग के नाम पर दर्ज था।
3. उक्त भूमि ग्राम शेखाबासनी के खसरा नम्बर 173 रकबा 16.13 बीघा भूमि में मौक पर पश्चिम दिशा में एक छोटा देवरा तथा एक पुराना कमरा बना हुआ है तथा कच्ची मेड़ बनाकर तीन भाग किये हुए हैं। मौके पर सम्पूर्ण भूमि पर और कोई निर्माण इत्यादि नहीं किया हुआ है।

ग्राम शेखाबासनी के खसरा नम्बर 173 रकबा 16.13 बीघा किस्म बा.प्रथम राजस्व रिकॉर्ड पे, जमाबन्दी की खेवट खतौनी सम्वत् 2071–2014 के खता संख्या 01 चालू पड़त या 01 वर्ष पड़त (गुवाई) हेतु दर्ज है। भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक दर्ज होने से किसी खातेदारी दिना जाना उचित नहीं है।

हस्तगत वाद बाबत् वादी के पक्ष में– शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. के, वादी श्यामा उर्फ श्यामलाल उम्र 75 साल व नाथूराम पुत्र पूर्णाराम उम्र 51 साल निवासी आड़काबास व श्रवणकुमार पुत्र रामूराम उम्र 50 साल निवासी आड़काबास तथा मनोजकुमार पुत्र महावीर उम्र 45 साल निवासी आड़काबास की के पेश हुए।

वाद में निम्न तनकियात् कायम की गयी–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

1. आया ग्राम शेखावासनी के खसरा नम्बर 173 रकबा 16.13 बीघा में से रकबा 06.10 बीघा भूमि वादी की पैतृक कब्जाकाश्त की जायगा है,

वादी,

2. आया ग्राम शेखावासनी के खसरा नम्बर 173 रकबा 16.13 बीघा में से रकबा 06.10 बीघा भूमि की घोषणा खातेदारी करवाने के वादी अधिकारी है,

वादी,

3. आया ग्राम शेखावासनी के खसरा नम्बर 173 रकबा 16.13 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक भूमि दर्ज है जिसकी खातेदारी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जा सकती

प्रतिवादी,

4. अनुतोष?

वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, नकल नक्शा ट्रेश किस्तवार मौजा शेखावासनी की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम शेखावासनी सम्वत् 2071–2074 खेवट संख्या 01 खसरा नम्बर 173 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

विद्वान वकील वादी व राजपैरोकार की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकील वादी का कथन है कि, सरहद शेखावासनी के खसरा नम्बर 173 रकबा 16.13 बीघा भूमि में से रकबा 06.10 बीघा पर वादी अपने पैतृक समय से लगातार काबिजकाश्त चला आ रहा है व वर्तमान में वादी की काश्त उक्त भूमि में की हुई है व मौजूदा में वादी का ही कब्जाकाश्त है। वादग्रस्त भूमि का वादी ने समय–समय पर लगान भी जमा करवाया है जो गिरदावरी की फॉटो कॉपी वादी के साथ प्रस्तुत है व नक्शा ट्रेश में लाल स्याही से अंकित है। वक्त सैटलमेन्ट के समय उक्त भूमि को राजस्व अधिकारियों ने सहवन से कस्टोडियन दर्ज कर दिया और वादी का नाम दर्ज नहीं किया, जो गलत है। राजस्व मण्डल अजमेर से भी ऐसे निर्णय पारित हो चुके हैं जिनमें लगान व गिरदावरी में नाम अंकन था उसे अपने–आप से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चके हैं। उक्त भूमि पर, वक्त सैटलमेन्ट से लगातार वादी का ही कब्जाकाश्त है।

राजपैरोकार तहसीलदार डीडवाना ने वाद में निवेदन किया कि, ग्राम शेखावासनी के खसरा नम्बर 173 रकबा 16.13 बीघा भूमि

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक दर्ज है व पूर्व में महकमा कस्टोडियन विभाग के नाम पर दर्ज था जिसमें मौके पर पश्चिम दिशा में एक छोटा देवरा तथा एक पुराना कमरा बना हुआ है तथा कच्ची मेड़ बनाकर तीन भाग किये हुए हैं इसके अलावा और कोई निर्माण इत्यादि नहीं किया हुआ है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक दर्ज होने से इस भूमि की खातेदारी किसी खातेदारी किसी अन्य व्यक्ति को दिना जाना उचित नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन व वकील वादी की सारगर्भित बहस व तहसीलदार डीडवाना द्वारा पेश जवाब दावा पर विचार करने के बाद पाया किया कि, सरहद शेखावासनी के खसरा नम्बर 173 रकबा 16.13 बीघा भूमि की खातेदारी राजस्थान–सरकार के नाम से दर्ज है। राजपैरोकार ने अपने जवाबदावा में उक्त भूमि की खातेदारी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देने की पैरवी की है।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप यूनाईटेड स्टेट ऑफ राजस्थान (संयुक्त राजस्थान सरकार) के दिनाँक 19.02.1951 को जमापट्टा फीस एवं अन्य लगान रसीदें प्रस्तुत किये हैं जिनसे भी यह बखूबी साबित हो रहा है कि वादी के पिता व वादी कभी भी भारत छोड़कर पाकिस्तान नहीं गये थे।

वादी ने उक्त भूमि अपनी पुश्तैनी एवं पुर्वजों की गिरदावरी रिपोर्ट में लगातार काश्त कब्जा होने के समस्त दस्तावेजात् पेश किये है। सम्वत् 2016 की गिरदावरी सैटलमेन्ट से लगातार वादी व वादी के पूर्वजों के नाम दर्ज है।

वादी व वादी के पिता द्वारा समय–समय पर लगान चुकाये जाने का कथन किया है वादी पाकिस्तान चला जाता तो अन्य लगान की रसीदें कहां से आती।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान राजस्व रिकॉर्ड में किया गया परिवर्तन क्षैत्राधिकार विहीन होने से प्रभाव शून्य है। सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना भू–प्रबन्ध विभाग को राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस विषय पर वादी द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये है:–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद, संख्या 40/2019
दायर दिनांक 24.01.2019, निर्णय दिनांक 16.02.2019
श्यामा उर्फ श्यामलाल बनाम राजस्थान सरकार।

1. हरिनारायण बनाम भागीरथ अपील डिक्री/डी.ए./8397/2007 जयपुर निर्णय दिनांक 10.07.2012 राजस्व मण्डल अजमेर।
2. RRD 2010 PAGE 359 TO 362, RAMRATAN V/S BGAGWAN SAHAI & ORS.
3. RRD 2008 (1) AGE 151 TO 154, GEETA RAM & ANR. V/S THE BOARD OF REVENUE & ORS.
4. RRD 2003 PAGE 298 TO 301, TAR SINGH 7 ORS. V/S KHET SINGH & ORS.
5. RT 2003(2) PAGE 957 TO 961, UDA V/S TUKHA & ANR.
6. RRD 2003 PAGE 485 TO 488, STATE OF RAJ V/S BHAGOTI & ORS.
7. RRT 2001(1) PAGE 244 TO 249, IDAN V/S STATE OF RAJ & ANR.
8. RRD 1993 PAGE 44 TO 47, OM PRAKASH 7 ORS V/S STATE OF RAJ & ORS.
9. RRD 1990 PAGE 17 TO 19, SUGAN BAI V/S HARAK CHAND

उक्त सभी न्यायिक विनिश्चय हस्तगत प्रकरण में पूर्णरूप से चस्पा होते हैं।

वादग्रस्त भूमि सरहद शेखावासनी के खसरा नम्बर 173 रकबा 16.13 बीघा भूमि जो कि वर्तमान में सिवाय चक दर्ज है। उक्त भूमि में से रकबा 06.10 बीघा का कब्जाकाश्त वादी व वादी के पूर्वजों का रहा है। मगर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान राजस्व रिकॉर्ड में उक्त अंकन किया गया जो कि किया गया परिवर्तन क्षेत्राधिकार विहीन होने से प्रभाव शून्य है।

लिहाजा, सरहद शेखावासनी के खसरा नम्बर 173 रकबा 16.13 बीघा में से रकबा 06.10 बीघा भूमि की घोषणा खातेदारी, अपने पक्ष में करवाने का वादी का अधिकारी होना, न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 40 / 2019
दायर दिनाँक 24.01.2019, निर्णय दिनाँक 15.02.2019
श्यामा उर्फ श्यामलाल बनाम् राजस्थान–सरकार।

अतः, बाद विवेचन, वादी का वाद, निम्नआदेशानुसार डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा, वाकै सरहद शेखाबासनी के खसरा नम्बर 173 रकबा 16.13 बीघा में से रकबा 06.10 बीघा भूमि की खातेदारी वादी के नाम से घोषित की जाती है। शेष खातेदारी बदस्तूर रहेगी। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **15.02.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री [illegible] इकतरफा

(आदेश 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना

[illegible] : श्री [illegible] R.A.S.

राजस्व वाद संख्या 40/2019 — [illegible] दिनांक 24.01.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. [illegible] पुत्र [illegible] जाति- [illegible] निवासी- [illegible] तहसील- डीडवाना, जिला- नागौर राजस्थान।	बनाम	1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार- डीडवाना, जिला- नागौर राजस्थान।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] धारा 88, 188 [illegible]

दिनांक 22.02.2019

यह मुकदमा आज सामने [illegible] [illegible] व [illegible] मुद्दई की बाबत [illegible] वादी [illegible] पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि [illegible] वादी [illegible] के खसरा नम्बर 173 रकबा [illegible] बीघा में से [illegible] बीघा भूमि की खातेदारी वादी के नाम से घोषित की जाती है। शेष खातेदारी बदस्तूर रहेगी। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो।

मीजान [illegible] [illegible]

खर्चा इस मुकदमे के [illegible]

आज की तारीख को अदा करें। हमारे [illegible] दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 22.02.2019 को [illegible] जारी की गयी।

सहायक कलक्टर

डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दाअलेह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प [illegible]			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशन		
फीस कमिशन			खर्चा इश्तहार		
खर्चा इश्तहार			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]					
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के [illegible] कुल खर्चा [illegible]

[illegible]

सहायक कलक्टर

डीडवाना (नागौर)

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–40–2019/रीडर/2019/186 दिनाँक 26/2/19

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. श्यामा उर्फ श्यामलाल पुत्र रूपा, उम्र–75साल, जाति–नायक, निवासी–आड़काबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner